

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जावता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाग चूरु कैम्प लाखाऊ

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

मोहनीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह तहसील वा जिला चूरु
-वादिनी-


बनाम

1. इन्द्रकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासिनी लाखाऊ तहसील वा जिला चूरु
 2. बजरंगसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील वा जिला झुन्झुनू
 3. श्यामलाल पुत्र बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी लाखाऊ तहसील वा जिला चूरु
 4. पूर्णदेवी पत्नी आँकारमल जाति ब्राह्मण निवासिनी ढाणी लक्ष्मणसिंह तह. वा जिला चूरु
 5. तारामणी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासिनी ढाणी लक्ष्मणसिंह तह व जिला चूरु
 6. नारायणीदेवी पत्नी मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासिनी ढाणी लक्ष्मणसिंह तह. वा जिला चूरु
 7. सावित्रीदेवी पत्नी कोडूराम उर्फ कोडीचन्द नाते स्व. आशाराम जाति नाई निवासिनी ढाणी लक्ष्मणसिंह तहसील वा जिला चूरु
 8. नीलम पत्नी सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासिनी ढाणी लक्ष्मणसिंह तहसील वा जिला चूरु
 9. सार्दुलसिंह
 10. अनूपसिंह
 11. कृष्णाकुमारी
 12. ओमकुमारी
 13. उगम चौहान
 14. आशाकंवर पत्नी करणीसिंह
 15. राजश्री पुत्री करणीसिंह
 16. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु
 17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु
- पुत्र व पुत्रियां मोहनसिंह जाति राजपूत निवासीगण
लाखाऊ तहसील वा जिला चूरु
- जाति राजपूत जाति राजपूत निवासीगण
लाखाऊ तहसील वा जिला चूरु
- प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 323 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादिनी मिनजानिब मुदईब व श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं. 4 से 8 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

लोक अदालत की भावना से वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 8 की ओर से पेश राजीनामा एवं वादिनी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित कब्जा काश्त के अनुसार दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख.नं. 39, 91, 92, 93, 153, 154, 315, 641/319 कुल तादादी 21.2586 हैक्टेयर रोही ग्राम लाखाऊ की भूमि में वादिनी, प्रतिवादी सं. 4 से 8 एवं शेष प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर अलग-अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:-


उपखण्ड अधिकारी

चूरु

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्लिदयत	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	मोहनीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु मु.वि.क.	315 मी.	3.5536 हैक्टे.	बारानी	9.13
2.	पूर्णीदेवी पत्नी औंकारमल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार	315 मी.	1.7768 हैक्टे.	बारानी	4.57
3.	तारामणी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु मु.वि.क.	315 मी.	1.7831 हैक्टे.	बारानी	4.58
4.	नारायणीदेवी पत्नी मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु मु.वि.क.	315 मी.	1.7768 हैक्टे.	बारानी	4.57
5.	सावित्रीदेवी पत्नी कोडूराम उर्फ कोडीचन्द नाते स्व. आशाराम जाति नाई निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु मु.वि.क.	315 मी.	2.0234 हैक्टे.	बारानी	5.20
6.	नीलम पत्नी सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार	315 मी.	1.2647 हैक्टे.	बारानी	3.25
7.	वाकी खाता बदस्तूर शेष खातेदारान	39	0.9864 हैक्टे.	बारानी	2.54
		91	0.5691 हैक्टे.	बारानी	1.46
		92	0.1138 हैक्टे.	बारानी	0.29
		93	0.3794 हैक्टे.	बारानी	0.97
		153	3.9330 हैक्टे.	बारानी	10.11
		154	0.5691 हैक्टे.	बारानी	1.46
		641 / 319	2.5293 हैक्टे.	बारानी	6.50
		किता-7	9.0801 हैक्टे.	बारानी	23.33

जिन खातेदारों की भूमि बैंक के रहन है, वह यथावत् रहन रहेगी। तहसीलदार, चूरु उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08 माह मई सन् 2018 को लोक अदालत में जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपस्थित अधिकारी, चूरु

चूरु